मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, (अराजपत्रित) सेवा गृह (पुलिस) विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती वर्ष–2026 हेतु विज्ञापन

1. गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

2. पदों का विवरण:–

i. प्रयोगशाला तकनीशियन

	अनारक्षित		ओबीसी		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ईडब्ल्यूएस	कुल
	27%	13% काल्पनिक	14%	13% प्रावधिक	20%	16%	10%	
OPEN	5	2	3	2	4	3	2	19
Ex. Serv. (10 %)	0	1	1	1	1	1	0	4
FEMALE (35 %)	3	2	2	2	2	2	1	12
Total	8	5	6	5	7	6	3	35
रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या	2 = (01-OH, 01-HH)							

ii. प्रयोगशाला सहायक

	अनारक्षित		ओबीसी		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ईडब्ल्यूएस	कुल
	27%	13% काल्पनिक	14%	13% प्रावधिक	20%	16%	10%	
OPEN	4	2	3	2	4	3	2	18
Ex. Serv. (10 %)	2	0	0	0	1	0	0	3
FEMALE (35 %)	3	2	2	2	2	2	1	12
Total	9	4	5	4	7	5	3	33
रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या	2 = (01-OH, 01-HH)							

III. प्रयोगशाला परिचारक

	अनारक्षित		ओबीसी		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ईडब्ल्यूएस	कुल
	27%	13% काल्पनिक	14%	13% प्रावधिक	20%	16%	10%	
OPEN	7	3	4	3	5	4	3	26
Ex. Serv. (20 %)	3	2	2	2	2	2	1	12
FEMALE (35 %)	5	3	3	3	4	3	2	20
Total	**15**	**8**	**9**	**8**	**11**	**9**	**6**	**58**
रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या	4 = (02-OH, 02-HH)							

नोट :– अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्र. एफ–07–46/2021/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाना है। पदों का विभाजन उपरोक्तानुसार है।

3. **परिभाषायें**:–

i. "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

ii. "श्रेणी" से अभिप्रेत है विभिन्न प्रवर्ग, जैसा भी लागू हो, यथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनूसचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

iii. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

iv. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

v. "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक–एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्ति के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

vi. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 07–11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

vii. "उभयलिंगी" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक सी–3/8/2015/1/3 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार परिभाषित उभयलिंगी होने का प्रमाण पत्र, जैसा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित है, यदि प्रमाण पत्र में पुरूष का उल्लेख किया गया है तब पुरूष उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे और यदि महिला का उल्लेख किया गया है तब महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

viii. "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

ix. "समिति" से अभिप्रेत है पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समिति से है।

x. भूतपूर्व सैनिक–मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) भूतपूर्व सैनिक आयु में छूट के लिए पात्र हैं परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नही कहा जा सकता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो:

क. भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन सेवानिवृत्त हुये हैं(मास्टरिंग रियायतें)

ख. भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है, और अल्पकालिक सेवा पूर्ण होने पर, उन्हें भर्ती की शर्तें पूरी करने पर कार्यमुक्त किया गया है।

ग. अधिकारी (सैनिक या नागरिक) जो अपने अनुबंध के पूरा होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं (अल्पकालिक सेवा के नियमित कमीशन अधिकारियों सहित)

घ. अवकाश रिक्तियों पर 6 महीने से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी

ङ. असमर्थता के कारण सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक

च. भूतपूर्व सैनिक जो इस आधार पर सेवानिवृत्त हुये हैं कि वे अब सक्षम सैनिक नहीं बन पाएंगे

छ. गोली, घाव आदि के कारण चिकित्सा आधार पर सेना से हटाए गय भूतपूर्व सैनिक।

4. **ऑनलाईन आवेदन**– आवेदन एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भरे जायेंगे। आवेदन हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं होगा।

5. **सामान्य निर्देश (भर्ती की जाने वाले व्यक्ति की पात्रता)** –

i. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

ii. शासन के आदेश अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।

iii. अभ्यर्थी के पास आवेदन जमा करने के समय निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यतः होने चाहिए।

क. आयु एवं उसमें छूट

ख. शिक्षा

ग. भूतपूर्व सैनिक

घ. जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

ङ. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

च. उभयलिंगी हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी उभयलिंगी प्रमाण पत्र

इनके साथ–साथ शेष अन्य सभी वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति भी आवेदन करते समय जमा करनी होगी।

iv. चयन के लिये उपस्थित होने के लिए शासकीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

v. शासकीय/अर्द्धशासकीय या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

vi. नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिये जायेंगे और उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा। इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण–पत्र या अन्य आधार स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा उपस्थित होने की तिथि से पहले विशेष रूप से अनुमति न दे दी जाए।

vii. राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक/सी–3–3/2000/3/(एक), दिनांक 13.04.2000 के अनुसार कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, तथा महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें।

viii. जो उम्मीदवार शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये वह नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

ix. वह पुरुष उम्मीदवार जिस पर महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

x. शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

xi. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे नहीं होने एवं उपयुक्त दस्तावेज के अभाव में निरस्त कर दिये जायेगें।

6. पद का वेतनमान:–

स.क्र.	पद का नाम	7वें वेतन आयोग अनुसार के वेतनमान
1	प्रयोगशाला तकनीशियन	level 7 रू 28700–91300
2	प्रयोगशाला सहायक	level 4 रू 19500–62000
3	प्रयोगशाला परिचारक	level 3 रू 18000–56900

नोट:–म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक क्र.सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय होगा। दिये गये समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियॉं देय होंगी। म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–9/3/2003/नियम–4 दिनांक 13.04.2005 एवं क्र. एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

7. पदों पर भर्ती:

i. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

ii. प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक के पद तृतीय श्रेणी एवं प्रयोगशाला परिचारक का पद चतुर्थ श्रेणी का हैं।

iii. चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पद प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार, पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएँगे। विभिन्न इकाईयों में आवंटन विभाग की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा।

iv. अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक के प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन करने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों का तीनों पदों पर चयन होने की स्थिति में उच्च वेतनमान के पद पर चयन हेतु पहले विचार किया जाएगा।

v. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

vi. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई अधिवासी (domicile) नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नही मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा आवेदन भरने वाले वर्ष की प्रथम जनवरी को विधिवत् न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी (domicile) प्रमाण–पत्र अनिवार्य है।

8. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें एवं पद से संबंधित विवरण :–

1	पद का नाम	**प्रयोगशाला तकनीशियन**
	विभाग का नाम	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह(पुलिस) विभाग
	श्रेणी	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी
	पद की स्थिति	स्थायी
	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	विज्ञान या फोरेंसिक साइंस या कम्प्यूटर साइंस या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि

2	पद का नाम	**प्रयोगशाला सहायक**
	विभाग का नाम	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग
	श्रेणी	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी
	पद की स्थिति	स्थायी
	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3	पद का नाम	**प्रयोगशाला परिचारक**
	विभाग का नाम	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग
	श्रेणी	अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी
	पद की स्थिति	स्थायी
	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषयों में हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

i. शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में उपरोक्त अर्हताओं के समकक्ष होकर अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र बनाती हो।

9. निर्धारित आयु सीमा–

i. सामान्य

क. भर्ती वर्ष की माह जनवरी की 1 तारीख को उम्मीदवार को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले गैर वर्दीधारी पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु–सीमा के निर्देश जारी किए गए हैं।

क्र	आवेदक	श्रेणी	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
1	पुरुष	मध्यप्रदेश के अनारक्षित	18 वर्ष	40 वर्ष
2	पुरुष	मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी	18 वर्ष	40 वर्ष
3	पुरुष/ महिला	अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी	18 वर्ष	40 वर्ष
4	महिला*	सभी श्रेणी के अभ्यर्थी	18 वर्ष	45 वर्ष
5	पुरुष*	आरक्षित श्रेणी (अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.व.) का अभ्यर्थी	18 वर्ष	45 वर्ष
6	महिला*/ पुरुष*	सभी श्रेणी के शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी/संस्था के कर्मचारी/नगर सैनिक/दिव्यांगजन अभ्यर्थी	18 वर्ष	45 वर्ष
7	पुरुष*	अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्राजातीय विवाह	18 वर्ष	45 वर्ष
8	महिला*	अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्राजातीय विवाह	18 वर्ष	50 वर्ष
9	पुरुष*	अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरूष्कार विजेता	18 वर्ष	45 वर्ष
10	महिला*	समस्त श्रेणी विक्रम पुरूष्कार विजेता	18 वर्ष	50 वर्ष
11	पुरुष*	आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरूष्कार विजेता	18 वर्ष	50 वर्ष

* केवल मध्यप्रदेश मूलनिवासी के लिए।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासन व्दारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण–पत्र ।

iii. मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूटें–

क. "विक्रम पुरस्कार– से सम्मानित अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित दंपति के उच्च जाति के पति या पत्नि के मामले में आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इस संबंध में विवाह पंजीयनकर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आवेदन जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

ग. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी।

घ. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होंगी।

v. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट–

उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु आवेदक की पात्रता की उच्च सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है, दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिकों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

vi. भूतपूर्व सैनिक संवर्ग में भू–सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

स्पष्टीकरणः 1 शब्द " भूतपूर्व सैनिक" एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा है जो नियम 2 के उपनियम "ठ" की श्रेणियों में से किसी से संबधित है और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की निरंतर कालावधि तक नियोजन हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरणः 2 किसी भूतपूर्व सैनिक ने यदि अतीत में किसी शासकीय सेवा में शामिल होने का लाभ उठाया है, तो उसे भविष्य की भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जाएगा। वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे। सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।

vii. मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी/परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने वर्तमान नियुक्तिप्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्रस्तुत करनी होगी।

viii. यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।

ix. छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

x. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नही दी गई है।

xi. आयु सीमा में छूट के तहत, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक छूटों के आधार हैं, तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ के साथ छूट मिलेगी।

xii. संविदा पर कार्यरत अन्य मानद कर्मचारियों या स्वैच्छिक कर्मचारियों जैसे 'शिक्षाकर्मी' 'पंचायत कर्मी' आदि कर्मचारियों को आयु में छूट की सुविधा नही मिलेगी।

xiii. किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश अधिवासी (domicile) सहित, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करना होगा।

10. **चयन समिति** :— भर्ती हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई समिति होगी।

11. **चयन की योजना** —

प्रथम चरण:— प्रथम चरण में उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन में लेख प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जावेगा। यदि किन्हीं उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ग्रेड प्राप्त हुआ हो तो ग्रेड के आधार पर उन्हीं के द्वारा प्रतिशत लेख किया जावे, ग्रेड के आधार पर निर्धारित किये गये प्रतिशत का आधार दर्शाने वाली तालिका चयन के उपरांत दस्तावेज परीक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवार को प्रस्तुत करना होगा।

i. प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बीएससी के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 175 अभ्यर्थियों को (रिक्त पद—35 का 5 गुना) लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा। प्रथम चरण में कटऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जायेगा। भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो।

ii. प्रयोगशाला सहायक के लिए 12वीं (अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी) के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार की जावेगी तथा मैरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 165 अभ्यर्थियों को (रिक्त पद–33 का 5 गुना) लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा। प्रथम चरण में कटऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जायेगा। भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हों।

iii. प्रयोगशाला परिचारक के लिए 10वीं (अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी) के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार की जावेगी तथा मैरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 290 अभ्यर्थियों को (रिक्त पद–58 का 5 गुना) लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा। प्रथम चरण में कटऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जावेगा। भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हों।

द्वितीय चरणः– द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचारक के लिए विषय संबंधी एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे।

i. **द्वितीय चरण लिखित परीक्षा–**

क. अवधि– 2 घंटे

ख. अंक योजना

(1) प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए –

सामान्य विज्ञान	–	80 अंक
सामान्य ज्ञान	–	20 अंक
कुल योग	–	100 अंक

(2) प्रयोगशाला सहायक के लिए –

सामान्य विज्ञान	–	80 अंक
सामान्य ज्ञान	–	20 अंक
कुल योग	–	100 अंक

(3) प्रयोगशाला परिचारक के लिए –

सामान्य विज्ञान	–	80 अंक
सामान्य ज्ञान	–	20 अंक
कुल योग	–	100 अंक

ii. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे अपितु एक शब्द में (रिक्त स्थान की पूर्ति) या एक वाक्य में उत्तर देना अथवा संक्षिप्त में उत्तर देना होगे।

iii. लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवार को कम से कम 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

iii. प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक के पदों के लिये केवल लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन सूचियाँ तैयार की जायेंगी, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग/श्रेणियों यथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लिए पृथक–पृथक होंगी।

iv. लिखित परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जायेगा। सफल उम्मीदवार को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी।

12. आरक्षण–

i. श्रेणियाँ : सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए, विज्ञापित कुल पदो की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका इस विज्ञापन में दी गयी है, आरक्षण को वर्टिकल(लंबवत्) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे– अनुसूचित जाति(एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग, प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को आगे हॉरीजोन्टल(क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे–महिला और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियाँ:

श्रेणियाँ	UR	OBC	SC	ST	EWS
ओपन	UO	BO	CO	TO	EO
भूतपूर्व सैनिक(10%) एवं (20%)	UX	BX	CX	TX	EX
महिला*(35%)	UF	BF	CF	TF	EF
योग	UG	BG	CG	TG	EG
आरक्षण$(%)	27	27	16	20	10

* महिला UF सभी वर्टिकल आरक्षित श्रेणियों के समायोजन किए हुए होगा जैसा कि ओपन UO में लागू होगा

$ विज्ञापन जारी करते समय शासकीय आदेश के अनुसार होगा।

ii. सामान्य प्रशासन विभाग(आरक्षण प्रकोष्ठ) म.प्र. शासन का 21 अप्रैल 1999 का असाधारण राजपत्र आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी शासकीय सेवा में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवा में 20 प्रतिशत आरक्षण का पालन किया जाएगा। इसे संबंधित वर्टिकल श्रेणियों की हॉरीजोंटल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा।

iii. महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित गृह(पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन क्रमांक–सी–3–8–2015–एफ–3– भोपाल दिनांक 03.10.2023 का पालन किया जाएगा। इसे संबंधित वर्टिकल श्रेणियों की हॉरीजोंटल श्रेणी में विभाजित किया जाएगा।

iv. सभी आरक्षण और आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश के अधिवासियों (domiciled) के संदर्भ में है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित अर्हताओं के अधीन पात्र होंगे।

v. भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे भू.पू.सैनिक से है जो उक्त परीक्षा में आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक तक या उससे पूर्व सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हो और किसी भी शासकीय सेवा में सेवारत न हों।

vi. यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है, जबकि महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण ''हॉरीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज'' स्वरूप का है।

vii. आरक्षण के आधार पर चयन मध्यप्रदेश के निम्न शासनादेशों:-

क. सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्र एफ 9-2-98-आ.प्र. एक दिनांक 21 अप्रैल 1999 (10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए)

ख. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-सी-3-8-2015-एफ-3- भोपाल दिनांक 03 अक्टूबर 2023 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण)

ग. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र 07-11/2019 एवं संशोधन ओदश एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 18 जुलाई 2019(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ई.डब्ल्यू.एस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण)

घ. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-7-10/2019/आ0प्र0/एक भोपाल दिनांक 26 अगस्त 2019 एवं मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019(अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 27 प्रतिशत आरक्षण), एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्न निर्णयों पर आधारित है:-

क. इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ(संदर्भ:-1992 SUPP (3)SCC&217)
ख. अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (संदर्भ : 1995(2)SUPP, SCR- 396 = 1995(5) SCC-173)
ग. रमेश राज विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य(सिविल अपील क्र. 4310.4311 OF2010)
घ. राजेश कुमार डारिया विरूद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग (संदर्भ : सिविल अपील 3132/2007)
ड. सत्य प्रकाश विरूद्ध भारत संघ (संदर्भ: सिविल अपील नं 5505-5507/2003)
च. दीपा ई वी बनाम भारत संघ (संदर्भ : सिविल अपील नं 3609/2017)
छ. सौरव यादव बनाम उ.प्र. राज्य (विशेष अनुमति याचिका सिविल क्र. 23223/2018)

viii. महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेण्टवाइज आरक्षण है।

ix. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3/02/2022/3/1, दिनांक 24 फरवरी, 2023 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 118, दिनांक 17 अप्रैल 2023 के पालन में मध्यप्रदेश उभयलिंगी (अधिकारी का संरक्षण) नियम 2021 के तहत मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के सीधी भर्ती के पदों में उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को शामिल किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को पिछड़ा वर्ग में मान्य किया गया है। ''

x. शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

xi. **अनारक्षित वर्टिकल श्रेणी:-** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनारक्षित श्रेणी एक वर्ग नहीं है, यह खुली प्रतियोगिता श्रेणी है और सभी उम्मीदवार-जिन्होंने आयु या शिक्षा में कोई छूट नही ली है, वे अपने उच्च अंकों के आधार पर अनारक्षित (UR) श्रेणी में स्थान पाने के पात्र हैं, भले ही किसी आरक्षित श्रेणी विशेष के अधीन उन्होंने आवेदन किया हो।

xii. **अनारक्षित हॉरीजोन्टल श्रेणीः–**

क. अनारक्षित महिला सभी वर्टिकल श्रेणियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों का समायोजन किए हुए होगी जैसे कि अनारक्षित पुरूषों के लिए लागू है।

ख. भूतपूर्व सैनिक, अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक सभी वर्टिकल श्रेणियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों का समायोजन किये हुए होंगे।

xiii. **आरक्षित वर्टिकल श्रेणीः–**

क. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS,के अभ्यर्थी जिनके अंक अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट–आफ अंक से कम नहीं है, परंतु उन्होंने उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में छूट का लाभ लिया है तो उनकी गणना केवल आरक्षित श्रेणी में ही होगी।

ख. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS,के अभ्यर्थी जिनके अंक अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट–आफ अंक से कम नहीं है परंतु जिन्हें आवेदन मे भरा गया पद सेवा संवर्ग

1. प्रयोगशाला तकनीशियन
2. प्रयोगशाला सहायक
3. प्रयोगशाला परिचारक

केवल उनकी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी में ही प्राप्त हो रहा है, अनारक्षित अभ्यर्थी की तरह विचार करने पर नहीं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के स्थान पर आरक्षित श्रेणी में की जाएगी।

xiv. **आरक्षित हॉरीजेन्टल श्रेणीः–**

प्रत्येक वर्टीकल श्रेणी के भीतर हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियाँ हैं, जैसे–महिलाएं या भूतपूर्व सैनिक। इसके लिए, केवल उन्हीं योग्य अभ्यर्थियों पर चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिन्होंने कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक पाए हों जो कि उनकी अपनी–अपनी वर्टीकल श्रेणी यथा UR/OBC/ST/SC/EWS, के कट–ऑफ अंक ही हो सकते हैं।

क. भूतपूर्व सैनिक जो अतिरिक्त रूप से उम्र में छूट का लाभ लिये हो उन्हे "ओपन प्रकोष्ठ" अभ्यर्थी के रूप में नहीं चुना जा सकता है।

ख. महिलाओं या भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में, इस प्रकार शेष रहे पदों को उस वर्टिकल श्रेणी के ओपन प्रकोष्ठ के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

xv. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

xvi. परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

13. **चयन सूची:-**

i. द्वितीय चरण लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी।

ii. सर्वप्रथम प्रतियोगियों मे से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस) के वे महिला एवं पुरूष उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक से अधिक अंक पाता है और उसे उसके द्वारा भरा गया पद अनारक्षित श्रेणी में मिल रहा है।

iii. यह सूची बनाने के बाद अनारक्षित महिलाओं, अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा।

(a). अनारक्षित महिला एवं अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC), अनुसूचित जनजाति(ST), अनुसूचित जाति(SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे।

(b). त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में अनारक्षित महिलाओं एवं अनारक्षित भूतपूर्व सैनिकों की हॉरीजोन्टल श्रेणी के कट-ऑफ अंक किसी भी आरक्षित श्रेणी की महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक से सदैव अधिक होंग। योग्य उम्मीदवारा उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

iv. चयन सूची में किसी भी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में पहले से यदि 35 प्रतिशत महिलाएं एवं 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक (20 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी हेतु) मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो अतिरिक्त रूप से और हॉरिजोन्टल आरक्षण नहीं दिया जायेगा।

v. शेष रहे उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल आरक्षित श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों के लिए पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेंगी।

vi. ये सूचियाँ बनाने के बाद सम्बंधित आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस मे महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जायेगा।

योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर हॉरीजोन्टल आरक्षण के लिए आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे बल्कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की दशा में उतने पद सम्बंधित आरक्षित श्रेणी के शेष रहे ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएँगे।

vii. समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले उस उम्मीवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा।

14. **प्रतीक्षा सूचीः–**

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.–सी–3–9/2016/1–3 दिनांक 10.10.2016 अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 प्रतिशत अभ्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची बनायी जायेगी जो कि परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन चयन के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

15. **नियुक्ति हेतु आमद पर उपस्थित होने पर प्रमाण पत्रों की जाँचः–**

i. निर्धारित समस्त अर्हतायें/प्रमाण पत्र, दस्तावेज जाँच दिनांक को उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिए।

ii. आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज और उनकी प्रतियाँ लेकर आएँगे एव आवेदन करते समय प्रस्तुत करेंगे :–

क. जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडियेट(10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,

ख. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र

ग. अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं उभयलिंगी वर्ग के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निधारित प्रारूप में, मध्यप्रदेश अधिवासी सहित, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

घ. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में मध्यप्रदेश अधिवासी सहित, सेना की सेवा का प्रमाण पत्र

ङ. पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र

च. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मध्यप्रदेश अधिवासी सहित, पुरूस्कृत संबंधी प्रमाण पत्र

छ. "विक्रम पुरूस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरूस्कार" हेतु पुरूस्कार संबंधी प्रमाण पत्र

ज. विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र

झ. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये.

ञ. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों एवं आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों हेतु मध्य प्रदेश का अधिवासी प्रमाण पत्र

ट. यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के मध्यप्रदेश के अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ और प्रस्तुत करें।

ठ. उभयलिंगी हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित्त प्रारूप में जारी उभयलिंगी प्रमाण पत्र।

iii. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्जावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा।

iv. मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आवेदन जमा करते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्टि की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छूपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह मुख्य लिखित परीक्षण में सफल रहा हो।

16. यात्रा किराया–

लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियो को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जायेगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया, जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान किया जाएगा। यह किराया लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि यात्रा किराया के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएँ।

17. अंतिम चयन:

i. भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के योग के आधार पर सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू. एस) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो किसी भी छूट के बिना (शुल्क की छूट के अतिरिक्त) चाहे वो उम्र, शैक्षणिक योग्यता हो, अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ अंक से

अधिक अंक पाता है और भरा गया पद अनारक्षित श्रेणी में मिल रहा है। शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के उम्मीदवारों की उनकी अपनी-अपनी वर्टिकल श्रेणी के लिये विज्ञापित पदों के लिए पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेंगी।

ii. ये सूचियां बनाने के बाद महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरीजोन्टल आरक्षण को प्रभावी किया जावेगा।

iii. समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले उस उम्मीवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा।

18. **स्वास्थ्य परीक्षण एवं दृष्टि परीक्षण–**

उम्मीदवारों को आमद से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण नियमानुसार कराना होगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को आँखों से संबंधित रोग नहीं होना चाहिये तथा मुख्य रंगों का भेद (Isihara Plates) करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिये। आँखों की दृष्टि 6X6 से कम नहीं होना चाहिये।

19. **चरित्र सत्यापन–**

i. कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन प्रपत्र में यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी देता है, तो उसे सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। सेवा में नियुक्ति के बाद इस संबंध में यदि यह तथ्य पता चलता है तो उसे कोई अन्य नोटिस दिये बिना उसे, सेवा से हटा दिया जाएगा। प्रतिकूल चरित्र सत्यापन के मामले में, नियुक्ति के लिए या सेवा में बने रहने का अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे।

ii. गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-17-01/2017/दो/सी/-2 दिनांक 24 जुलाई 2018 के आधार पर चरित्र सत्यापन किया जाएगा।

iii. चरित्र सत्यापन के लिए चयन के मामले में मार्गदर्शन सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेहर सिंह विरूद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस-विशेष अनुमति याचिका(सिविल) क्र. 38886/2012, में निर्धारित मापदण्ड अनुसार होंगे।

20. **नियुक्तिः–**

i. नियुक्ति के उपरांत प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा।

ii. अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, लिखित परीक्षा, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

iii. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक क्र.सी-3-13/2019/3/एक दिनाक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय होगा। दिये गये समस्त संवर्गों के वेतन के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी। म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.

एफ–9/3/2003/नियम–4 दिनांक 13.04.2005 एवं क्र. एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 02.07.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

iv. जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

v. जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाईयों में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा।

21. पदस्थापना का स्थान–

चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना मध्यप्रदेश के किसी भी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अथवा किसी भी जिले की जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट में की जायेगी।

22. सामान्य निर्देश:–

i. चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी स्तर पर, एफएसएल मुख्यालय, भोपाल के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि आती है तो एफएसएल मुख्यालय, भोपाल को उसे सुधारने का अधिकार होगा।

ii. विज्ञापित पदों की संख्या में पुलिस मुख्यालय द्वारा कमी या वृद्धि की जा सकती है, परिवर्तन की स्थिति में न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे और न ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले से भरे हुये आवेदनों में संशोधन मांगा जायेगा।

iii. यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन रद्द किया जा सकता है।

iv. चयन परीक्षा का सभी रिकार्ड सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद नष्ट कर दिया जावेगा। केवल वही रिकार्ड सुरक्षित रखा जावेगा जिसकी कोई जांच चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो।

15/3/26

(शशिकांत शुक्ला)
निदेशक
एफएसएल, मध्यप्रदेश
मुख्यालय भोपाल